

श.प्र.सं. ५५

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उनवान सरकार बनाम मन्सुरी प/९ इलाहाबाद

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

नुकदमा नं० 22/19 निर्णय दि० 25-2-20

35²/₂₀ पत्रावली पेश हुई कबीर गडी उपस्थित
 पडी गडी वाक्यूड लागीन कुतुपस्थित सुड
 निकट राडपनीन कार्यवाही की जाती है।
 कबीर गडी की राडपनीन बहक सुनीगर
 पत्रावली का कवलोकन किया बहक का
 कान किया/ प्रारंभ फेरों उष सुविधा का
 सुलभ कार्यवाही का सिद्धान्त पर के आधारित
 बहक का बहक प्रारंभ पर कस्कार सिधेधला
 सुनीगर किया जाता उचित प्रतीत होता है।
 बहक प्रारंभ का प्रारंभ पर कस्कार
 सिधेधला स्वीकार किया जाता होले
 उष-आमालय एम आबी कंठरिम T I
 केनेड 5-4-19 का फेरला वाड क-क-की
 बलीये पत्रावली केवल बहक बहक के
 उष निर्णय के उष लिखवाता आड
 उष आमालय में सुनाया जाता।

अ
25/2/20

वकील
श्री
अ
पति (अ)
पति
11-19

वकील
10-19

